न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

अपील संख्या : 07/2016

रामप्रसाद पुत्र श्री गोरू जाति धाकड निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां

....अपीलान्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

♠ बनाम ♠

1. सरपंच ग्राम पंचायत सीसवाली पंचायत समिति अन्ता तहसील मांगरोल जिला बारां
2. पदेन सचिव ग्राम पंचायत सीसवाली

....रेस्पोडेन्ट

अपील इन्तकाल नं0 2280 दिनांक 14.10.2015
ग्राम पंचायत सीसवाली पंचायत समिति अंता

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील अपीलान्ट : श्री दया कृष्ण धाकड

निर्णय दिनांक : 20.12.2018

दायरा दिनांक: 08.12.2016

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पिता ने आराजी नया खाता संख्या 1006 हाल खसरा नं0 3428 रकबा 0.01 है0 आराजी मौखिक इकरार द्वारा 1963 में श्री पन्नालाल पुत्र नारायण जाति धाकड निवासी सीसवाली से 25 रू0 में क्रय की थी वक्त क्रय शुदा आराजी पर पन्नालाल जी द्वारा कब्जा संभला दिया था तब से आज तक अपीलान्ट व उसके पूर्वज ही काबिज काश्त है उक्त क्रय शुदा आराजी पर विक्रेता के द्वारा आज तक कोई दखलअंदाजी नही की गई है। अपीलान्ट द्वारा आज से तकरीबन 20 वर्ष पूर्व बेचान शुदा आराजी हाल खसरा नं0 3428 रकबा 0.01 है0 आराजी में पक्की दुकानों का निर्माण कर दुकानदारी कर रहा है एवं यह कार्य अपीलान्ट बिना किसी दखलअंदाजी के निरन्तर रूप से करता आ रहा है जिस पर विक्रेता या उसके वारिसान द्वारा किसी प्रकार की उज्र नही रहा है। अपीलान्ट की क्रय शुदा आराजी हाल खसरा नं0 3428 रकबा 0.01 है0 पर सरपंच ग्राम पंचायत सीसवाली द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार के इन्तकाल नं0 2280 दर्ज कर स्वीकार कर स्वीकृत कर दिया एवं अपीलान्ट द्वारा क्रय शुदा आराजी हाल खसरा नं0 3428 रकबा 0.01 है0 को अन्य खातेदार को अन्तरण कर दिया है। जिसका सरपंच ग्राम पंचायत सीसवाली को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। विधि के प्रावधानो के विपरित होने से इन्तकाल नं0 2280 खारीज होने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा क्रय शुदा आराजी हाल खसरा नं0 3428 रकबा 0.01 है0 को वर्तमान खातेदार द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड बेचान से दिनांक 03.09.2015 को बेचान नही किया है। इसके बावजूद सरपंच ग्राम पंचायत सीसवाली द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार के अपीलान्ट द्वारा क्रय शुदा आराजी का इन्तकाल नं0 2280 हाल खसरा नं0 3438 रकबा 0.01 है0 स्वीकार कर कानूनी भूल की है जो निरस्त होने योग्य है। अतः सरपंच ग्राम पंचायत सीसवाली द्वारा तस्दीक इंतकाल नं0 2280 दिनांक 14.10.2015 को खारिज किये जाने के आदेश फरमावें।

... आशय की अपील प्रस्तुत होने पर दिनांक 08.12.2016 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। ...ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 बावजूद तलबी सम्मन अनुपस्थित है। अतः दिनांक 05.12.2018 को अवसर जवाब बन्द किया गया।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। प्रकरण में दिनांक 20.12.2018 को अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यों का कथन किया है जिनका उनके द्वारा अपील में अंकन किया गया है। सुनी गयी बहस, प्रस्तुत दस्तावेज यथा रजिस्टर्ड बेचान नामा दिनांक 03.09.2015 के अनुसार अपीलान्ट की आराजी खसरा नं0 3438 रकबा 0.01 है0 को बेचान नही होना पाया है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पंचायत सीसवाली द्वारा तस्दीक किया गया इंतकाल नं0 2280 दिनांक 14.10.2015 गलत होने के फलस्वरूप निरस्त किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 03.09.2015 के पुनः आराजी खसरा नं0 5092 रकबा 0.81 है0, खसरा नं0 5250 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 5251 रकबा 0.88 है0, कुल किता 3 किता 1.79 है0 का नामान्तरकरण बाद जांच नये सिरे से केतागण के नाम तस्दीक करने एवं आराजी खसरा नं0 3438 रकबा 0.01 है0 वापस पूर्व खातेदार सत्यनारायण, नेमीचंद पुत्र देवचंद धाकड सा0 सीसवाली के नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्त...

निर्णय आज दिनांक 20.12.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुन...